सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय : न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.
न्याय निर्णयन आवेदन सं0 10/2016

श्री प्रदीप कुमार राजपूत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर

बनाम

1. **फूलाराम पुत्र शैतान राजपुरोहित , वार्ड नं.16 धक्कावाली, पदमपुर जिला श्रीगंगानगर मै0 बालाजी मिष्ठान भण्डार,**

अभियुक्त

अपराध अ0 धारा 26 उपधारा 2(ा)खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011

निर्णय **दिनांक : 12.03.2018**

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री विनोद कुमार खाद्य सुरक्षा अधिकारी, दिनांक 27.10.2016 को कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर का कार्य सम्पादन कर रहे है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित गजट नोटिफिकेशन के अनुसार श्री विनोद कुमार शर्मा को खाद्य सरुक्षा अधिकारी, नियुक्त किया गया है। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक(जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर के आदेश दिनांक 28.09.2016 के अनुसार उन्हें कार्य क्षेत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर आवंटित किया गया है। श्रीगंगानगर कार्यालय के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र उनके कार्यक्षेत्र में बताये है।

श्री प्रदीप कुमार राजपूत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 19.10.2015 को दोपहर 1.30 पी. एम.पर फर्म **मै0 बालाजी मिष्ठान भण्डार** पहुंचा एवं उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय दिया और परिचय लिया। वहां फर्म मालिक **फूलाराम पुत्र शैतान राजपुरोहित ,वार्ड नं.16 धक्कावाली, पदमपुर जिला श्रीगंगानगर** खाद्य कारोबारकर्त्ता एवं विक्रेता की हैसियत से मौजूद थे एवं आम जनता को **"Mawa Peda"** आदि विकय कर रहे थे।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान खाद्य पदार्थ **"Mawa Peda"** के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत, जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर की ,दुकान में एक टीन में मौजूद **"Mawa Peda" 10 किलो के आसपास पडा था, वास्ते मिठाई बनाने हेतु रखा हुआ था में से जांच हेतु 2 किलोग्राम "Mawa Peda"** खरीदा **"Mawa Peda"** जिसकी कीमत 450/–रूपये अदा किये एवं रसीद तैयार की, फार्म संख्या 5ए तैयार किया, खाद्य कारोबारकर्त्ता, गवाहों के हस्ताक्षर करवायें एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म नं 05 की एक प्रति खाद्य कारोबारकर्त्ता को देकर रसीद प्राप्त की। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य कारोबारकर्त्ता एवं गवाहों को चार सूखे एवं खाली शीशीयों को दिखाया, लेबल पर कोड एवं सीरियल नम्बर, दिनांक, स्थान खाद्य पदार्थ का नाम अंकित कर उस पर खाद्य करोबारकर्त्ता, गवाहों के हस्ताक्षर करवायें एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् खरीदशुदा **"Mawa Peda"** को चारो नमूना शीशीयों को बराबर–बराबर भरा, प्रत्येक शीशी में फार्मलीन की 40–40 बूंदे डालकर डाट लगाया, प्रत्येक नमूना शीशीयों पर एक एक लेबल गोंद से चिपकाया चारो नमूना शीशीयों को कोर्क से एयरटाईट बंद किया चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

भाग पर डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षयुक्त पेपर स्लिप के–601 को नियमानुसार नीचे से ऊपर गोंद से चिपकाया, प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्त्ता के हस्ताक्षर व गवाहों के हस्ताक्षर करवाएं एवं स्वयं ने हस्ताक्षर किये, चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की, जिसे खाद्य कारोबारकर्त्ता फुलाराम पुत्र शैतान राजपुरोहित ने पढकर, समझकर हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, जयपुर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांकः एलएस/2918/एक्ट/2017/1090 दिनांक 04.11.2015 प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना के–601 **"Mawa Peda"** **अमानक स्तर (Substandards)** होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त **फूलाराम पुत्र शैतान राजपुरोहित , वार्ड नं.16 धक्कावाली, पदमपुर जिला श्रीगंगानगर** द्वारा अमानक स्तर **"Mawa Peda"** का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 26.04.2016 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जिस **"Mawa Peda"** का नमूना जांच हेतु लिया था वह जांच रिपोर्ट के अनुसार **(Substandards)** पाया गया है। जिसमें श्री प्रदीप कुमार खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 19.10.2015 को 1.30 पीएम पर मैसर्स बालाजी मिष्ठान भण्डार वार्ड नं.6 धक्का बस्ती, पदमपुर पर मावा पेडा मिठाई बनाने हेतु सैम्पल भरना बताया है। जिसकी जांच के लिए दो किलो मावा पेडा नमूने के अनुसार लेना बताया है। प्रार्थी के विरूद्व उक्त सैम्पल भरा जाना व अन्य कार्यवाही महज फर्जी प्रस्तुत की गई है। क्योंकि वार्ड नं.6 धक्का बस्ती , पदमपुर में प्रार्थी की कोई दुकान मकान या अन्य संस्थान नहीं है, ना ही बताये गये स्थान पर प्रार्थी का कोई ठिकाना है जहां मावा पेडा रखा जावें। वार्ड नं.6 धक्का बस्ती, पदमपुर का वह स्थान जहां श्री प्रदीप कुमार खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा सैम्पल भरना बताया है उक्त संस्थान के नाम से कोई दुकान,मकान नही है। जिसकी रिपोर्ट तहसीलदार पदमपुर से मंगवाई जावें।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **"Mawa Peda"** का सैम्पल के–601 जांच रिपोर्ट क्रमांकः एलएस/2918/एक्ट/2017/1090 दिनांक 04.11.2015 द्वारा **(Substandards)** होना पाया गया है। जांच रिपोर्ट के अनुसार बिन्दु संख्या 02– **(Substandards)** = Negative पाया गया जबकि Should be Negative.[for khoya] होना चाहिए था। श्री विनोद कुमार खाद्य सुरक्षा अधिकारी, दिनांक 10.10.2018 को पुनः श्रीबालाजी मिष्ठान भण्डार, नगरपालिका रोड, लक्ष्मी इलेक्ट्रोनिक के पास, पदमपुर का निरीक्षण किया एवं

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति. जिला कलेक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

उसके मालिका फूसाराम पुत्र शैतानराम राजपुरोहित से दिनांक 19.10.2015 को श्री प्रदीप कुमार राजपूत खाद्य सुरक्षा अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा लिये गये नमूना संख्या के–601 खाद्य पदार्थ मावा के लिये गये सैम्पल के बारे में जानकारी चाही, " तो फूसाराम ने बताया कि दुकान नम्बर 6, धक्का बस्ती , पदमपुर में मैने मकान किराए पर लिया हुआ था। जिसका मकान मालिक चरणजीत अरोडा था। वह मैने खाली कर दिया था। लेकिन मैने भूलवंश श्री प्रदीप कुमार राजपूत को पुराना पता जोकि कागजातों में अंकित है बता दिया जो मावें का सैम्पल जांच हेतु लिया गया था। वह (**Substandards**) पाया गया था । मै मेरी गलती स्वीकार करता हूँ तथा भविष्य में इस प्रकार के (**Substandards**) खाद्य पदार्थो का बेचान नहीं करूंगा तथा इस प्रकार बताये गये पुराने पते की वजह से जो असुविधा हुई उसके लिये क्षमा प्रार्थी प्रार्थी है। कृप्या लोक अदालत की भावना से प्रकरण में जुर्माना लगाते हुये प्रकरण को समाप्त करने की कृप्या करावें । अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) उल्लंघन तथा धारा 51 के तहत जुर्मान योग्य अपराध साबित होता है।

अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जवाब में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराते हुए कहा है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जिस **"Mawa Peda"** का नमूना जांच हेतु लिया था वह जांच रिपोर्ट के अनुसार (**Substandards**) पाया गया है। मै मेरी गलती स्वीकार करता हूँ तथा भविष्य में इस प्रकार के (**Substandards**) खाद्य पदार्थो का बेचान नहीं करूंगा तथा इस प्रकार बताये गये पुराने पते की वजह से जो असुविधा हुई उसके लिये क्षमा प्रार्थी प्रार्थी है। कृप्या लोक अदालत की भावना से प्रकरण में जुर्माना लगाते हुये प्रकरण को समाप्त करने की कृप्या करावें ।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया S3ample **"Mawa Peda"** bearing Code No. and Sr. No. K-601 of Designated Officer cum The Chief Medical & Health Officer, Sriganganagar is (**Substandards**) Under FSS Act , 2006 . जॉच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियुक्त को एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 51 के तहत जुर्माने से दण्डित किये जाने के अन्तर्गत राशि रूपये 2000–00 (अखरे चार हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में **"Mawa Peda"** के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 12.03.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नख़तदान बारहठ)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा0)
श्रीगंगानगर।